03-11-2020 पत्रावली पेश हुई। व फ्लाव उभयपक्ष उप०। वकील प्रार्थी ने प्रा० पत्र पेश कर निवेदन किया कि उनवानी प्रा० पत्र में प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य राजीनामा हो चुका है। प्रार्थी हस्तगत प्रा० पत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः हस्तगत प्रा० पत्र T.I. को विड्रा करने की अनुमति प्रदान करें।

चूंकि वकील प्रार्थी के कथनानुसार विवादित पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है तथा प्रार्थी प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा हस्तगत प्रा० पत्र T.I. को विड्रा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। हस्तगत प्रा०पत्र में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः कार्यवाही प्रकरण इसी स्तर पर drop की जाती है। पत्रावली कैफल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

(राकेश कुमार)
RAS
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) खण्डेला